



समक्ष माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

12

म0क0 /2018 निगरानी 2/निगरानी छतरपुरी भूरा/2018/0883

1. कल्लू तनय प्यारेलाल अहिरवार
2. परमलाल तनय प्यारेलाल अहिरवार
3. छोटेलाल तनय प्यारेलाल अहिरवार
4. नन्नेभाई तनय प्यारेलाल अहिरवार समस्त निवासीगण समरेठा तहसील घुवारा जिला छतरपुर म.प्र.

श्री. सुनीलजी वासि
द्वारा आज 3-2-18
प्रस्तुत प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 22-3-18 नियत।

~~राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर~~
3-2-18

.....आवेदकगण

विरुद्ध

प्रतापनारायण तनय भगवानदास ब्राहमण निवासी
सिमरिया तहसील घुवारा जिला छतरपुर म.प्र. ।

.....अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य सहिता 1959 के
राजस्व निरीक्षक भगवा तहसील घुवारा जिला छतरपुर म.प्र. के
प्रकरण क 168/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक
13.6.2017 के विरुद्ध।

श्री. सुनीलजी वासि
3-2-18



माननीय महोदय

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य -:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि अनावेदक द्वारा ग्राम मौजा सिमरिया में स्थित भूमि खसरा नंबर 1150/1 रकबा 0.708 हे0 का सीमांकन हेतु

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0883

कल्लू विरूद्ध प्रतापनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-12-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>1. आवेदक कल्लू की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक प्रतापनारायण की ओर से अभिभाषक श्री पी.के. तिवारी उपस्थित ।</p> <p>2. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक भगवा तहसील घुवारा जिला छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 13-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>18.12.18</p>